19 April UG IV sem

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त सामूहिक सौदेबाजी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित बातें भी होना आवश्यक हैं:

(i) सेवायोजक व कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सद्भावना होनी चाहिए।
(ii) सेवायोजक व कर्मचारियों में 'लो व दो' के सिद्धांत (Principle of give and take) को अपनाने की भावना होनी चाहिए।
(iii) सामूहिक सौदेबाजी के विषय स्पष्ट एवं व्यावहारिक होने चाहिए।
(iv) दोनों पक्षकारों के आपसी विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए जिसके द्वारा वे आसानी से सौदेबाजी कर सकें।
(v) सामूहिक सौदेबाजी का कार्यक्रम तय कर लेना चाहिए।

सामूहिक सौदेबाजी की सफलता की आवश्यक शर्तें :—
(Conditions for Success of Collective Bargaining)

सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक संघर्षों का निपटारा करने व औद्योगिक शांति को स्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है किंतु यह अधिक प्रभावशाली तभी बन सकता है जबकि निम्नलिखित आधारभूत शर्तों की पूर्ति हो पाये :

सामूहिक सौदेबाजी की सफलता की आवश्यक शर्तें

1. शक्तिशाली श्रम संघ
2. पूर्ण अधिकार
3. सामूहिक हित
4. वैधानिक स्वीकृति
5. उपयुक्त आचरण
6. नियमों तथा दशाओं में लोच
7. मुख्य लक्ष्य
8. आधुनिकतम आंकड़ों व तथ्यों की जानकारी
9. क्षेत्र की निश्चितता
10. सरकार व जनता के विचार का महत्त्व

1. **शक्तिशाली श्रम संघ** (Strong labour union) : चूंकि सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों की ओर से उनके नेताओं द्वारा की जाती है। अत: यह आवश्यक है कि श्रम संघ बहुत शक्तिशाली एवं सुसंगठित हों, जिनमें अधिकतर कर्मचारी सदस्य हों एवं उनके नेतृत्व में उनका विश्वास और निष्ठा हो। श्रम संघों का नेतृत्व कुशल, ईमानदार एवं निष्ठावान व्यक्तियों के हाथ में हो। तभी वे कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व कर सकेंगे एवं उनकी सौदेबाजी को बल मिलेगा।

2. **पूर्ण अधिकार** (Full Authority) : इसी प्रकार सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सेवानियोजकों की ओर से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की ओर से श्रम संघों को सौदेबाजी के लिए पूर्ण अधिकार हो। यदि पूर्ण अधिकार सत्ता सौदेबाजी के पक्षकारों का नहीं है तो पक्षकार एक-दूसरे के प्रति विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते, जबकि पारस्परिक विश्वास और सम्मान ही इस व्यवस्था की आधारशिला है।

3. **सामूहिक हित** (Collective Intrest) : सामूहिक सौदेबाजी उन्हीं मदों पर सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिनमें कर्मचारियों का सामूहिक, सामान्य एवं महत्त्वपूर्ण हित सन्निहित हो। व्यक्तिगत समस्याओं एवं छोटे-मोटे मामलों के लिए सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग न तो संभव होता है और न वांछित ही।

4. **वैधानिक स्वीकृति** (Legal acceptance) : देश के कानूनों द्वारा सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार श्रम संघों ने बड़े संघर्षों के बाद प्राप्त किया है और अब अधिकतर देशों में इसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

5. **उपयुक्त आचरण** (Proper conduct) : सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप हुए सामूहिक समझौतों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती, अत: वे दोनों पक्षों की निष्ठा और नैतिक बल पर ही सफल हो सकते हैं। ऐसे समझौते वैधानिक रूप से बाध्य नहीं होते, अत: दोनों पक्षों को चाहिए कि उनकी सफलता के लिए अपने अपने उत्तरदायित्वों को विधिवत् निभाएं जिन्हें उन्होंने इन समझौतों के माध्यम से स्वीकार किया है।

6. **नियमों तथा दशाओं में लोच** (Flexibility in Rules and Conditions) : सामूहिक सौदेबाजी उन्हीं परिस्थितियों

Scanned with CamScanner